इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 590]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. 5436-451-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४२ सन् २०११

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११

विषय-सूची

धाराएँ :

- १. संक्षिप्त नाम.
- २. धारा २ का संशोधन.
- ३. धारा ३० का संशोधन.
- ४. धारा ३४ का संशोधन.
- ५. धारा ३५ का संशोधन.

धाराएँ :

- ६. धारा ३६ का संशोधन.
- ७. धारा ४६ का संशोधन.
- ८. धारा ४७ का संशोधन.
- ९. धारा ४९ का संशोधन.
- १०. धारा ५० का स्थापन.
- ११. धारा ५१ का संशोधन.
- १२. धारा ५२ का संशोधन.
- १३. धारा ५३ का संशोधन.
- १४. धारा ५४ का स्थापन.
- १५. धारा ५७ का संशोधन.
- १६. धारा ५८-ख का अन्त:स्थापन.
- १७. धारा ५९ का संशोधन.
- १८. धारा ७८ का हटाया जाना.
- १९. धारा ८१ का संशोधन.
- २०. धारा ९७ का हटाया जाना.
- २१. धारा ९८ का स्थापन.
- २२. धारा ९९ का हटाया जाना.
- २३. धारा १०० का स्थापन.
- २४. धारा ११९ का संशोधन.
- २५. धारा १२८ का संशोधन.
- २६. धारा १३० का संशोधन.
- २७. धारा १३२ का संशोधन.
- २८. धारा १३३ का स्थापन.
- २९. धारा १४३ का संशोधन.
- ३०. धारा १७२ का संशोधन.
- ३१. धारा २०० का संशोधन.
- ३२. धारा २२७ का संशोधन.
- ३३. धारा २३४ का संशोधन.
- ३४. धारा २३७ का संशोधन.
- ३५. धारा २४१ का संशोधन.
- ३६. धारा २४७ का संशोधन.
- ३७. धारा २४८ का संशोधन.
- ३८. धारा २५० का संशोधन.
- ३९. धारा २५३ का संशोधन.
- ४०. धारा २५७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४२ सन् २०११

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उपधारा (१) में, खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २ का संशोधन.

- ''(ण क) ''बाजार मूल्य'' से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, २००० के अधीन कलक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;''.
- ३. मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (१) में, शब्द "कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, या तहसीलदार", के स्थान पर, शब्द "कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी" स्थापित किए जाएं.

धारा ३० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, खण्ड (ग) में, शब्द ''पचास'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (३) में, शब्द ''आवेदन'' के स्थान पर, शब्द ''अपने शप्थ-पत्र के साथ आवेदन'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

धारा ३६ का संशोधन.

परन्तु प्रत्येक पक्षकार को, प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान तीन से अनिधक स्थगन दिए जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जाएगा.

७. मूल अधिनियम की धारा ४६ के खण्ड (क) में शब्द, अंक और कोष्ठक ''इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ (१९०८ का सं. ९) के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक ''परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४७ में,—

धारा ४७ का संशोधन.

- (एक) खण्ड (क) में, शब्द ''पैंतालीस दिन'' के स्थान पर, शब्द ''तीस दिन'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''साठ दिन'' के स्थान पर, शब्द ''पैंतालीस दिन'' स्थापित किए जाएं;
- (तीन) खण्ड (ग) में, शब्द ''नब्बे दिन'' के स्थान पर, शब्द ''साठ दिन'' स्थापित किए जाएं;
- (चार) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में अपील उक्त अधिनियम के पूर्व की संहिता में उपबंधित समय-सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी.''. धारा ४९ का ९. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, संशोधन. अर्थात:—

- ''(३) पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:
- परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगाः
- परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व के, समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे.''.

धारा ५० का स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

पुनरीक्षण.

- ''५० (१) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी—
 - (क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या
 - (ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या
 - (ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है,

तो मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:

- परन्तु मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि,—
 - (क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, या
 - (ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त रहता है, न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूर्णनीय क्षति कारित करेगा.
- (२) मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी इस धारा के अधीन, किसी ऐसे आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो मण्डल को या उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को अपील होती हो, कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा.
- (३) राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पुनरीक्षण का प्रभाव कार्यवाही को स्थिगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा स्थिगित की गई हो.
- (४) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन—
 - (क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;
 - (ख) धारा २१० के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;

- (ग) जब तक कि वह मण्डल को साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा:
- परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनरीक्षण, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा.
- (५) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.
- (६) उपधारा (१) में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—
 - (एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां उसके संबंध में कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
 - (दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां इस धारा के अधीन ऐसे मामले के संबंध में मण्डल, यथास्थिति, कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक या तो विरत रहेगा या ऐसी कार्यवाहियां वापस ले सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे. ''.

११. मूल अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (१) के परन्तुक के, खण्ड (तीन) में, शब्द ''नब्बे दिन'' के स्थान पर, शब्द ''साठ दिन'' स्थापित किए जाएं तथा पूर्ण विराम के पश्चात् कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा ५१ का संशोधन.

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके कि विरुद्ध पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनर्विलोकन, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५२ में,-

धारा ५२ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (२) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थातु:—
 - ''परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा.'';
- (दो) उपधारा (३) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा.''.
- १३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ९)'' के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''पिरसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६)'' स्थापित किए जाएं और शब्द ''पुनर्विलोकन'' के स्थान पर, शब्द ''पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५३ का संशोधन. धारा ५४ का स्थापन.

१४. मल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:--

पुनरीक्षण का लंबित रहना.

''५४. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लंबित हों, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित ही न हुआ हो. ''.

धारा ५७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,-

- उपधारा (२) में, शब्द ''उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य सरकार'' स्थापित (एक) किए जाएं:
- (दो) उपधारा (३) तथा (४) का लोप किया जाए.

धारा ५८-ख का अंत:स्थापन.

निर्धारित भू-राजस्व

का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए खाते के लिए ही देय होगा.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५८-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''५८-ख. (१) इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित भू-राजस्व का केवल आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए दो हेक्टर तक के खाते के बारे में देय होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् विनिश्चित करेगा कि संबंधित खाता सुक्ष्म तथा लघु उद्यम की परियोजना का है.

स्पष्टीकरण. — इस धारा के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उनके लिए दिए गए हैं.''.

धारा ५९ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा (१) में, खण्ड (क) से (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थातु:-

- **''**(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाऊस) के प्रयोजन के लिए उपयोग जो एक एकड़ या अधिक के खाते पर स्थित है:
- निवास-गृहों के लिए स्थानों के रूप में उपयोग; (ख)
- शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग; (ग)
- औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग; (घ)
- वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग; (ङ)
- खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५९ का ६७) के अर्थ के अंतर्गत (핍) खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजन के लिए;
- उपरोक्त मद (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग.''. (छ)

१८. मूल अधिनियम की धारा ७८ का लोप किया जाए.

धारा ७८ का हटाया जाना.

१९. मूल अधिनियम की धारा ८१ में,-

धारा ८१ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की गई भूमि पर उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा.'';
- (दो) उपधारा (६) का लोप किया जाए.

२०. मूल अधिनियम की धारा ९७ का लोप किया जाए.

धारा ९७ का हटाया

जाना.

२१. मूल अधिनियम की धारा ९८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ९८ का स्थापन.

''९८. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का उचित निर्धारण धारा ८१ में दिए गए सिद्धांतों और निर्बंधनों के अनुसार संगणित तथा नियत किया जाएगा और गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का, उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, नियत किया जाएगा.''. उचित निर्धारण.

२२. मूल अधिनियम की धारा ९९ का लोप किया जाए.

धारा ९९ का हटाया जाना

२३. मूल अधिनियम की धारा १०० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १०० का स्थापन

"'१००. उन भूमियों की दशा में, जिन पर कि निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छह गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छह गुने के हिसाब से नियत किया जाएगा:

पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना.

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहां ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जाएगा मानो कि वह सुधार किया ही नहीं गया था.''.

२४. मूल अधिनियम की धारा ११९ की उपधारा (१) में, शब्द ''पच्चीस'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ११९ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में, शब्द ''एक रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा १२८ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा १३० में, शृब्द ''पचास'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा १३० का संशोधन. धारा १३२ का २७. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, शब्द ''एक हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित संशोधन. किए जाएं.

धारा १३३ का स्थापन. २८. मूल अधिनियम की धारा १३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बाधा का हटाया जाना. ''१३३. यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजिनक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल सरणी या जल स्त्रोत में, जो धारा १३१ के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और, यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी.''.

धारा १४३ का संशोधन. २९. मूल अधिनियम की धारा १४३ में, शब्द ''दस'' के स्थान पर, शब्द ''सौ'' स्थापित किए जाएं.

धारा १७२ का संशोधन. ३०. मूल अधिनियम की धारा १७२ में,—

- (एक) उपधारा (४) में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं.
- (दो) उपधारा (५) में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' तथा शब्द, ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा २०० का संशोधन. ३१. मूल अधिनियम की धारा २०० में, शब्द ''दो सौ'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २२७ का संशोधन. ३२. मूल अधिनियम की धारा २२७ में, शब्द ''बीस'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार''

धारा २३४ का संशोधन. ३३. मूल अधिनियम की धारा २३४ में,—

- (एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(२) निस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा.'';
- (दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(३) ऐसे अंतिम निस्तार पत्रक की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी.''.
- (तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) ग्राम सभा द्वारा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर, उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर की पूर्व अनुमति से तथा ऐसी किसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे,—
 - (क) निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा;
 - (ख) ग्रामवासियों के अतिरिक्त निस्तार पत्रक के अधिकारों को पूरा करने के लिए निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के अधीन अतिरिक्त दखल रहित भूमि अभिलिखित कर सकेगा.''.

३४. मूल अधिनियम की धारा २३७ में,-

धारा २३७ का संशोधन

- (एक) उपधारा (२) का लोप किया जाए:
- (दो) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - "(३) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर, उपधारा (१) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (१) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी की राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, व्यपवर्तित कर सकेगा:

परन्तु उपधारा (१) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित नहीं की जाएगी.'';

- (तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) जब उपधारा (१) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (३) के अधीन नहीं आती है, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय को तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा.''.

३५. मूल अधिनियम की धारा २४१ की उपधारा (४) में, शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २४१ का संशोधन.

३६. मूल अधिनियम की धारा २४७ में,—

धारा २४७ का

संशोधन.

- (एक) उपधारा (७) में, शब्द ''दुगुने'' के स्थान पर, शब्द ''चार गुने'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (७) के परंतुक का लोप किया जाए.
- ३७. मल अधिनियम की धारा २४८ में,--

धारा २४८ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' तथा शब्द ''बीस रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए:
- (तीन) उपधारा (२-ए) में, शब्द ''तीन मास'' के स्थान पर, शब्द ''छह मास'' स्थापित किए जाएं.

३८. मूल अधिनियम की धारा २५० में,-

धारा २५० का संशोधन.

- (एक) उपधारा (६) में, शब्द ''दो सौ पचास'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (९) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (९) के परंतुक का लोप किया जाए.

३९. मूल अधिनियम की धारा २५३ में, शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २५३ का संशोधन.

४०. मूल अधिनियम की धारा २५७ में, खण्ड (क) को खण्ड (क-१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क-१) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया, जाए, अर्थात्:—

धारा २५७ का संशोधन.

''(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा ५७ की उपधारा (१) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय:''.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. 5437-458-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 42, सन 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव. अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 42 of 2011.

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2011

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of Section 2
- 3. Amendment of Section 30
- 4. Amendment of Section 34
- 5. Amendment of Section 35
- Amendment of Section 36 6.
- 7. Amendment of Section 46
- Amendment of Section 47 8.
- Amendment of Section 49 9.
- Substitution of Section 50 10.
- Amendment of Section 51 11.
- Amendment of Section 52 12.
- 13. Amendment of Section 53
- Substitution of Section 54 14.
- Amendment of Section 57 15.
- Insertion of Section 58-B 16.
- 17. Amendment of Section 59
- Deletion of Section 78 18.
- Amendment of Section 81 19.
- 20. Deletion of Section 97
- 21. Substitution of Section 98
- 22. Deletion of Section 99
- Substitution of Section 100 23.
- Amendment of Section 119 24
- Amendment of Section 128 25.
- Amendment of Section 130 26.
- Amendment of Section 132 27.
- 28. Substitution of Section 133
- 29. Amendment of Section 143
- Amendment of Section 172 Amendment of Section 200 31.
- Amendment of Section 227
- 32. 33. Amendment of Section 234
- Amendment of Section 237 34.
- 35. Amendment of Section 241
- 36. Amendment of Section 247
- 37. Amendment of Section 248 38. Amendment of Section 250
- 39. Amendment of Section 253
- 40. Amendment of Section 257

MADHYA PRADESH ACT No. 42 of 2011.

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT)ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 27th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, Short 2011.

Short title.

2. In sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 2.

- "(oa) "Market Value" means the value of land assessed according to guidelines issued by the Collector under the Madhya Pradesh Bajar Mulya Margdarshak Siddhanton ka Banaya Jana Tatha Unka Punrikshan Niyam, 2000 made under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899);".
- 3. In sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act, for the words "A Collector, a Sub-Divisional Officer, or a Tahsildar", the words "A Collector or a Sub-Divisional Officer" shall be substituted.

Amendment of Section 30.

4. In section 34 of the Principal Act, in clause (c), for the word "fifty", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 34.

5. In sub-section (3) of Section 35 of the Principal Act, for the word "apply", the words "apply along with his affidavit" shall be substituted.

Amendment of Section 35.

6. In sub-section (1) of Section 36 of the Principal Act, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 36.

- "Provided that each party may be granted not more than three adjournments during the entire hearing of the case and each such adjournment should be granted only with cost.".
- 7. In clause (a) of Section 46 of the Principal Act, for the words, figures and bracket "the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908)", the words, figures and bracket "the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)" shall be substituted.

Amendment of Section 46.

8. In Section 47 of the Principal Act,—

Amendment of Section 47.

- (i) in clause (a), for the words "forty-five days", the words "thirty days" shall be substituted:
- (ii) in clause (b), for the words "sixty days", the words "forty-five days" shall be substituted;
- (iii) in clause (c), for the words "ninety days", the words "sixty days" shall be substituted;

- (iv) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
- "Provided that where the order, against which the appeal is being preferred, made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011, in such case appeal shall be entertained within the time limit provided in the Code prior to this said Amendment Act.".

Amendment of Section 49.

- 9. In Section 49 of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) After hearing the parties, the appellate authority may confirm, vary or reverse the order appealed against, or may take such additional evidence as it may consider necessary for passing its order:
 - Provided that the appellate authority shall not remand the case for disposal by any Revenue Officer subordinate to it:
 - Provided further that all such cases which have been remanded to the sub-ordinate Revenue Officers by the Appellate or Revisional Authorities before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 shall be heard and decided by such Revenue Officer.".

Substitution of Section 50.

10. For section 50 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Revision.

- "50. (1) The Board may, at any time on its motion or on the application made by any party or the Collector or the Settlement Officer may, at any time on his motion, call for the record of any case which has been decided or proceeding in which an order has been passed by any Revenue Officer subordinate to it or him and in which no appeal lies thereto, and if it appears that such subordinate Revenue Officer.—
 - (a) has exercised a jurisdiction not vested in him by this Code, or
 - (b) has failed to exercise a jurisdiction so vested, or
 - (c) has acted in the exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity,
 - the Board or the Collector or the Settlement Officer may make such order in the case as it or him thinks fit:
 - Provided that the Board or the Collector or the Settlement Officer shall not, under this section, vary or reverse any order made, or any order deciding an issue, in the course of the proceeding, except where,—
 - (a) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision to the Board, would have finally disposed of the proceedings, or
 - (b) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it was made.
- (2) The Board or Collector or the Settlement Officer shall not, under this section vary or reverse any order against which an appeal lies either to the Board or to any Revenue Officer subordinate thereto.

- (3) A revision shall not operate as a stay of proceeding before the Revenue Officer except where such proceeding is stayed by the Board or the Collector or the Settlement Officer, as the case may be.
 - (4) No application for revision shall be entertained.—
 - (a) against an order appealable under this Code;
 - (b) against an order to the Settlement Commissioner under section 210;
 - (c) unless presented within sixty days to the Board:
 - Provided that where the order, against which the application for revision is being presented, made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011, in such case revision shall be entertained within ninety days from the date of order.
- (5) No order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.
 - (6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—
 - (i) where proceedings in respect of any case have been commenced by the Board under subsection (1), no action shall be taken by the Collector or the Settlement Officer in respect thereof;
 - (ii) where proceeding in respect of any such case have been commenced by the Collector or the Settlement Officer under sub-section (1), the Board may either rafrain from taking any action under this section in respect of such case until the final disposal of such proceedings by the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, or may withdraw such proceedings and pass such order as it may deem fit.
 - **Explanation.**—For the purpose of this section all Revenue Officers shall be deemed to be subordinate to the Board.".
- 11. In clause (iii) of the proviso to sub-section (1) of Section 51 of the principal Act, for the words "ninety days", the words "sixty days" shall be substituted and for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 51.

- "Provided that where the order, against which the application for review is being presented, made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011, in such case review shall be entertained within ninety days from the date of order.
- 12. In Section 52 of the Principal Act,-

Amendment of Section 52.

- (i) in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
- "Provided that the execution of order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier.";

(ii) in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the execution of order shall not be stayed for more than three months at a time or until the date of next hearing, whichever is earlier.".

Amendment of Section 53.

13. In Section 53 of the principal Act for the words, figures and bracket "Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908)", the words, figures and bracket "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)" shall be substituted and for the word "review", the words "review and revision" shall be substituted.

Substitution of Section 54.

14. For Section 54 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Pending revisions

"54. Notwithstanding anything contained in this chapter, all proceedings pending in revision before any Revenue Officer immediately before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 shall be heard and decided by such Revenue Officer as if this amendment Act had not been passed."

Amendment of Section 57.

- 15. In Section 57 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (2), for the words "Sub-divisional Officer" the words "State Government" shall be substituted;
 - (ii) sub-sections (3) and (4) shall be deleted.

Insertion of Section 58-B.

16. After Section 58-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Half of the assessed land revenue shall be payable for holding used exclusively for the purpose of a project of micro and small enterprise.

- "58-B. (1) Notwithstanding anything contained in this Code, only half of the assessed land revenue shall be payable in respect of a holding upto two hectares used exclusively for the purpose of a project of micro and small enterprise.
- (2) For the purpose of sub-section (1), the Collector shall, after affording reasonable opportunity of being heard to the persons interested and after making such enquiry as he may deem necessary, decide that the concerning holding is of project of micro and small enterprise.

Explanation.—For the purpose of this Section, the micro enterprise and small enterprise shall have the same meaning as assigned to them in sub-clause (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006).".

Amendment of Section 59.

- 17. In sub-section (1) of Section 59 of the principal Act, for clause (a) to (e), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(a) for the purpose of agriculture of such farm house which is situated on holding of one acre or more;
 - (b) as sites for dwelling houses;
 - (c) for educational purpose;
 - (d) for industrial purpose;
 - (e) for commercial purpose
 - (f) for the purpose of mining under a mining lease within the meaning of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1959);
 - (g) for purpose other than those specified in items (a) to (f) above.".

Deletion of Section 78.

18. Section 78 of the principal Act shall be deleted.

19. In Section 81 of the principal Act,-

Amendment of Section 81.

- (i) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(4) the fair assessment on land used for non-agricultural purpose shall be fixed in accordance with the rules made under section 59.";
- (ii) sub-section (6) shall be deleted.
- 20. Section 97 of the principal Act shall be deleted.

Deletion of Section 97. Substitution of Section 98

21. For Section 98 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Fair assessment.

"98. The fair assessment of lands used for agricultural purpose shall be calculated and fixed in accordance with the principles and restrictions set forth in Section 81 and lands used for non-agricultural purpose shall be fixed in accordance with the rules made under section 59.".

22. Section 99 of the principal Act shall be deleted.

Section 99.

Deletion

of

23. For Section 100 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 100.

"100. In the case of lands which are being assessed for a purpose with reference to which they were assessed immediately before the revision, the assessment so arrived at exceeds, in the case of agricultural land one and a half times the land revenue or rent and in the case of other lands six times the land revenue or rent payable immediately before the revision the assessment shall be fixed at one and a half times such land revenue or rent in the case of agricultural land and at six times such land revenue or rent in the case of other lands:

Fixation of fair assessment at the time of revision.

Provided that where an improvement has been effected at any time in any holding held for the purpose of agriculture by or at the expense of the holder thereof, the assessment of such holding shall be fixed as if the improvement had not been made.".

24. In sub-section (1) of Section 119 of the principal Act, for the word "twenty-five", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 119.

25. In sub-section (2) of Section 128 of the principal Act, for the words "one rupee", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 128.

26. In Section 130 of the principal Act, for the word "fifty", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 130.

27. In Section 132 of the principal Act, for the word "one thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 132.

28. For Section 133 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 133.

"133. If a Tahsildar finds that any obstacle impedes the free use of a recognised road, path or common land of a village or impedes the road or water course or source of water which has been the subject of a decision under section 131, he may order the person responsible for such obstacle to remove it and if such person fails to comply with the order, may cause the obstacle to be removed and may recover from such person the cost of removal thereof and such person shall be liable, under the written order of a Tahsildar stating the facts and circumstances of the case, to a penalty with may extend to ten thousand rupees."

Removal of obstruction.

Amendment of Section 143.

29. In Section 143 of the Principal Act, for the word "ten", the word "hundred" shall be substituted.

Amendment of Section 172.

- 30. In Section 172 of the Principal Act,—
 - (i) in sub-section (4), for the words "two thousand rupees", the words "twenty per centum of the market value of such diverted land" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (5), for the words "two thousand rupees", the words "twenty per centum of the market value of such diverted land" and for the words "one hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 200.

31. In Section 200 of the Principal Act, for the words "two hundred", the words "two thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 227.

32. In Section 227 of the Principal Act, for the word "twenty", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 234.

- 33. In section 234 of the Principal Act,
 - (i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) A draft of the Nistar Patrak shall be published in the village and after ascertaining the wishes of the Gram Sabha, it shall be finalised by Sub-Divisional Officer.";
 - (ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) A copy of the Nistar Patrak so finalised shall be kept in the office of the Gram Panchayat.";
 - (iii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(4) On a resolution passed by the Gram Sabha by a majority of not less than two thirds of the members present and voting, the Sub-Divisional Officer with the prior sanction of the Collector and also after making any such inquiry as he deems fit, may,—
 - (a) inter se change the entries in the Nistar Patrak;
 - (b) record additional unoccupied land under any entry in the Nistar Patrak for fulfillment of further Nistar rights of villagers.".

Amendment of Section 237.

- 34. In section 237 of the Principal Act,—
 - (i) sub-section (2) shall be deleted;
 - (ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) Subject to the rules made under this Code, the Collector after securing the land mentioned in clause (b) of sub-section (1) to minimum two percent of the total agriculture land of that village, may divert such unoccupied land as mentioned in sub-section (1) into abadi or for construction of roads, state highways, national highways, canals, tanks, hospitals, schools, colleges, Goshalas and any other public utility projects as may be determined by the State Government:

Provided that the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) shall not be diverted and allotted to any person for agriculture purpose.;

- (iii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—
 - "(4) When it becomes indispensable to divert the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) for such development and infrastructural projects which are owned or approved by the State Government but not covered under sub-section (3), the Collector, after satisfying himself on alternatives available and also on obtaining land of equivalent area for fulfilling the same Nistar rights from the concerned project, may divert the land for such purposes by passing a reasoned order to this effect."
- 35. In sub-section (4) of Section 241 of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 241.

36. In Section 247 of the Principal Act,—

Amendment of Section 247.

- (i) in sub-section (7), for the word "double", the words "four times" shall be substituted;
- (ii) proviso to sub-section (7) shall be omitted.
- 37. In Section 248 of the Principal Act,—

Amendment of Section 248.

- (i) in sub-section (1), for the words "five thousand rupees", the words "twenty per centum of the market value of such encroached land" and for the words "twenty rupees", the words "five hundred rupees in non urban area and two thousand rupees in urban area" shall be substituted;
- (ii) sub-section (2) shall be omitted;
- (iii) in sub-section (2-A), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted.
- 38. In section 250 of the Principal Act,—

Amendment of Section 250.

- (i) in sub-section (6), for the words "two hundred and fifty", the words "two thousand" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (9), for the words "five thousand rupees", the words "twenty per centum of the market value of such land" shall be substituted;
- (iii) proviso to sub-section (9) shall be omitted.
- 39. In section 253 of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 253.

40. In section 257 of the Principal Act, clause (a) shall be renumbered as clause (a-1) and before clause (a-1) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 257.

"(a) any decision regarding any right under sub-section (1) of Section 57 between the State Government and any person;".